

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./फायर सेफटी/2018/19

दिनांक: 5/2/2018

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान

विषय:-फायर एनओसी प्राप्त करने के क्रम में।

संदर्भ:-निदेशालय के पत्र क्रमांक : चि.प्र./फायर सेफटी/2017/106 दिनांक  
22.03.2017 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको फायर एनओसी प्राप्त करने हेतु लिखा गया था परन्तु आप द्वारा इस बारे में इस कार्यालय को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि आपने फायर एनओसी के लिये आवेदन नहीं किया है तो संलग्न प्रपत्र में भरकर स्थानीय नगरनिगम/परिषद/पालिका में अविलम्ब आवेदन करें तथा यदि आपने एनओसी प्राप्त कर ली है तो एनओसी की छायाप्रति इस कार्यालय की मेल आईडी (addtiha@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें। विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न:-प्रपत्र

अति० निदेशक (चि.प्र.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./फायर सेफटी/2018/19

दिनांक: 5/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल करना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (चि.प्र.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर